संख्या-81/1869/47-का-3-2014-13/2/2013

प्रेषक,

पी0बी0 सिंह
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रशासक
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
पिकप भवन, पंचम तल, गोमती नगर
लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनउ: दिनांक : 30 जुलाई, 2014**

विषय - वित्तीय वर्ष 2014-2015 के अंतिम 08 माहों में से 04 माह (माह अगस्त, 2014 से माह नवम्बर, 2014) के व्यय के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-596/47-का-2014-13/2/2013, दिनांक 11 अप्रैल, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2014-2015 के अंतिम 08 माहों में से 04 माहों (माह अगस्त, 2014 से माह नवम्बर, 2014) तक के लिए उ0प्र0 विनियोग अधिनियम, 2014 (अधिनियम संख्या-11, सन, 2014) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को वेतन भत्तों आदि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2014-2015 हेतु आय-व्ययक के अन्तर्गत स्वीकृत व्यय के लिए रू0-4,76,71,000/-(रूपये चार करोड छिहत्तर लाख इकहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष रू0-2,03,23,000/-(रूपये दो करोड तीन लाख तेईस हजार मात्र) की धनराशि जिसका मदवार विवरण निम्नवत है, के व्यय हेतु प्रशासक, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के निस्तारण पर रखे जाने की (इस निर्देश के साथ कि आयोग के गठन के परिपेक्ष्य में बजट को छोड़कर ही वित्तीय नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा) सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि हजार रूपये में)

मद संख्या एवं मद का नाम	बजट साहित्य के पृष्ठ 11-12 के अनुसार स्वीकृत कुल धनराशि	04 माह (अप्रैल, 2014 से जुलाई, 2014 तक अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	अवशेष 08 माह में से 04 माह (माह अगस्त, 2014 से माह नवम्बर, 2014 तक) के लिए अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
01-वेतन	20200	3166	8517
02-मजदूरी	10	-	5
03-मँहगाई	21210	3166	9022
04-यात्रा व्यय	100	8	46
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1	-	-
06-अन्य भत्ते	3300	500	1400
07-मानदेय	10	-	-
08-कार्यालय व्यय	300	10	145
11-लेखन सामग्री और फामों की छपाई	200	5	97
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	500	-	250

http://shasanadesh.up.nic.in

13-टेलीफोन व्यय	100	5	47
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेटोल आदि की खरीद	120	40	40
16-व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिए	120	40	40
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	500	-	250
29-अनुरक्षरण	100	-	50
45-अवकाश यात्रा व्यय	50	10	20
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफटवेयर का क्रय	500	-	250
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	50	5	22
49-चिकित्सा व्यय	300	66	117
योग	**47671**	**7021**	**20323**
			(रूपये दो करोड़ तीन लाख तेइस हजार मात्र)

2- विनियोग अधिनियम द्वारा स्वीकृत/ उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का उपयोग केवल चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में उक्त धनराशि का उपयोग वर्ष 2014-2015 की नयी मदों के कार्यान्वयन के लिए नही किया जायेगा।

3- स्वीकृत व्यय पूरा करने के लिए प्रदेशनों (एलाटमेंटस) में से धनराशि का विनियोग बजट मैनुअल के सम्बद्ध नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों द्वारा नियंत्रित होगा। धनराशि का प्रदेशन मात्र से ऐसा व्यय करने का कोई अधिकार नही होगा, जिसे करने के लिए बजट मैनुअल तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों के अन्तर्गत जहाँ सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता हो, व्यय करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

4- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/ वितरित धनराशि के समक्ष किए गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16-94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

5- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत- व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004-मि0-1/2004, दिनांक 07.01.2005 का विशेष रूप से पालन किया जाये।

6- उपर्युक्त् व्यय अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2051-लोक सेवा आयोग-103-कर्मचारी चयन आयोग-आयोजनेत्तर-03 उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

(पी0बी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-81/1869/47-का-3-2014-13/2/2013, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) वरिष्ठ लेखाधिकारी (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) निदेशक, वित्त सांख्यकीय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन ।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ 2, उत्तर प्रदेश शासन ।
(8) नियुक्ति अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(पी0बी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in